किसी प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने में सफल नहीं रहा। पूर्वोक्त दोनों शर्तें संविधान के अनुच्छेद 226 की पूर्वभाव्य शर्तें हैं [*दया राम चौधरी* ब० *ए० के० रवि, सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ खण्ड), बस्ती*, 2003 आर० एल० डी० 637 : 2003 (94) आर० डी० 371]।

अविश्वास का प्रस्ताव—जब एक अविश्वास प्रस्ताव में धारा 28 के प्रावधान समुल्लंघित थे तब वहां किसी हस्तक्षेप का समुचित आधार नहीं है [*गुड्डी देवी* ब० *उ० प्र० राज्य*, 2004 (97) आर० डी० 164]।

एक सभापति के अपने पद में बने रहने की शर्त—एक सभापति अपने पद में तब तक बना रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा जब तक वह 50 प्रतिशत सदस्यों से अधिक सदस्यों को प्रतिधारित (retain) कर लेता है, अन्यथा वह अप्राप्तवयता (minority) में माना जाएगा [*अशोक कुमार* ब० *जिला मजिस्ट्रेट*, 2000 (सप्ली०) आर० डी० 300]।

29. अध्यक्ष [1][* * *] का हटाया जाना—(1) यदि राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष [1][* * *] जब वह अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता हो, अधिनियम के अधीन, अपने कर्तव्यों या कृत्यों का जानबूझकर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाए [2][या अपने कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए] तो राज्य सरकार, यथास्थिति, अध्यक्ष [1][* * *] को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसको आदेश द्वारा पद से हटा सकती है [3][और ऐसा आदेश अन्तिम होगा, उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी] :

[2][प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे रूप में जैसा नियत किया जाए, किसी जांच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाए कि किसी अध्यक्ष [1][* * *] ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की हैं तो ऐसा अध्यक्ष [1][* * *] अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन नहीं करेगा और जब तक उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।]

(2) [4][* * *]

(3) इस धारा के अधीन अपने पद से हटाया गया कोई अध्यक्ष [1][* * *] अपने पद से हटाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष तक अध्यक्ष [1][* * *] के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

टिप्पणियां

अध्यक्ष को पद से हटाया जाना—प्रारम्भिक जांच में अध्यक्ष को प्रथमदृष्ट्या दोषी पाया जाना—अध्यक्ष के खिलाफ प्रारम्भिक जांच आयुक्त के द्वारा की गयी और उसके सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज याची को दिए गए लेकिन उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रारम्भिक जांच में याची प्रथमदृष्ट्या दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध नियमित जांच का आदेश दिया गया। याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप बहुत ही गम्भीर हैं। न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है [*मुकेश राजपूत* ब० *उत्तर प्रदेश राज्य*, 2003 आर० एल० टी० 738 : 2003 (सप्ली०) आर० डी० 602]।

दो शब्दावलियों के विभिन्न अर्थों में प्रयोग—जब कभी दो शब्दों, यथा "जिला मजिस्ट्रेट" और "अपर जिला मजिस्ट्रेट" एक वाक्यखण्ड में प्रयोग किया गया तो उक्त शब्दावली दो विभिन्न अर्थों को इंगित करती है [*उ० प्र० राज्य* ब० *जानकी देवी*, 2003 (94) आर० डी० 286 (एस० सी०)]।

अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति का ले लिया जाना—तीन निर्वाचित सदस्यों की कमेटी—अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति ले ली जाती है तो उसे कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी को नहीं दी जा सकती तथा बनायी गयी त्रिसदस्यीय कमेटी में किसी भी निर्वाचित सदस्य को

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 44 सन् 2007 की धारा 9 द्वारा शब्द "या उपाध्यक्ष" निकाल दिए गए (20-8-2007 से प्रभावी)
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 सन् 1994 की धारा 79 (क) द्वारा अन्त:स्थापित
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2 सन् 1963 की धारा 18 द्वारा अन्त:स्थापित
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9 सन् 1994 की धारा 79 (ख) द्वारा उपधारा (2) निकाल दी गयी